



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45258 वर्ष 2025

संदीप कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दीपक उपाध्याय, रज्जन कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक उपाध्याय तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक संदीप कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 367 वर्ष 2025, धारा 8, 20 एवं 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को उक्त प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है, जिसमें सात अभियुक्तों सहित आवेदक की संयुक्त अभिरक्षा से 59.24 किलोग्राम 'गांजा' की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। आवेदक दिनांक 29.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह संभावना नहीं है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह न्यायालय की कार्यवाही से फरार होगा अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा। अतः जमानत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित किए जाने की युक्तियुक्त आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, तथापि प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक संदीप कुमार को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करे, तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा—

1. आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/धमकाने का प्रयास नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से छूट प्रदान कर न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

12 जनवरी, 2026

सुमैरा

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।